

फर्द अहकाम

[नियम 26]

मालाखेड़ा उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

आवेदक

वनाम

शा.पं.

मुकदमा

अपील

नं०

सन्

दिनांक	दुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस दुकम की तामील में जारी हुए
31/7/24	<p>पत्रावली राज राष्ट्रीय लोक अहालत में पोषा हुई। पत्रावली का मुख्य बृहन्न उस प्रकार है कि विराल इन्तकाल संख्या 69 दि. 0/12/98 ग्राम पंचायत जमालपुर सीमा में अपील का नाम अपीलार्थ दर्ज किया है जखरी अपीलार्थ का वास्तविक व सही नाम जगतप्रताप सिंह है। अपीलार्थ ने अपना वास्तविक व सही नाम जगतप्रतापसिंह सुकत करने का निर्देश किया। तहसीलदार मालाखेड़ा के रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार मालाखेड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थ का सही नाम जगतप्रतापसिंह होना अंकित किया। संपन्न ग्राम पंचायत जमालपुर ने भी प्राप्ति का नाम जगतप्रतापसिंह होने की पुष्टि की।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न हस्ताक्षर प्राप्ति की कक्षा 8 की अंतुतानिका, जनआधार कार्ड, मत हाता पदचानपत्र एवं आदि में अपीलार्थ का नाम जगतप्रतापसिंह का ही अंकन है।</p> <p>अतः अपील अपीलार्थ सीमा की जाती है। वस्तु जति आलोक्य आदेश दि. 0/12/98 इ.नं. 69 ग्राम जमालपुर संपन्न किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मालाखेड़ा को इस निर्देश के साथ प्राप्ति किया जाता है कि अपीलार्थ का नाम जगतप्रताप सिंह दर्ज करने वाले हुए पुनः नफलांतरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करे।</p> <p>मिथि राष्ट्रीय लोक अहालत में सुनाया गया।</p>	

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट मालाखेड़ा जिला अलवर

उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर)

[Signature]
सहस्य